



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 03.10.24

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 36 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को एनबीसीसी के पीछे जंगल वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 36 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के

सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सत्यपाल पुत्र मांगेराम निवासी पट्टी धंधान क़स्बा छपरौली थाना छपरौली जनपद बागपत हाल निवासी फ्लैट नंबर-N-95 एनबीसीसी कॉलोनी थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

➤ 36 पाउच अवैध देशी शराब यूपी मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना खेकडा बागपत ।

2- है0का0 398 अनुज कुमार थाना खेकडा बागपत ।

3- का0 978 पुनीत कुमार थाना खेकडा बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 03.10.24

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 303/24 धारा 305 बीएनएस व मु०अ०सं०315/24 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 चोरो को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 38 एल्युमीनियम की डाई, 16 बोल्ट कुल वजन लगभग 34 किग्रा० व 430 रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

1-दिनांक 21.09.24 को थाना खेकडा पर वादी विनोद पुत्र राजेराम निवासी गाँव सुभानपुर थाना खेकडा जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 20.09.24 की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की दुकान से 30,000 रुपये नगद, एक बैटरा, परचून का सामान व वादी की दुकान के पास विजयपाल शर्मा की घरेलू समरसेबिल और स्टाटर चोरी कर



लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु०अ०सं० 303/24 धारा 305 बीएनएस 2023 पंजीकृत किया गया था ।

2-दिनांक 01.10.24 को वादी मोहित जैन पुत्र सुखपाल चन्द जैन निवासी शाहदरा बलवीर नगर थाना शाहदरा दिल्ली ने लिखित सूचना दी कि दिनांक 30.09.24 को अज्ञात चोरो द्वारा दानेश इन्टर नेशनल फैक्ट्री पाठशाला खेकडा रोड में से कुछ एल्युमिनियम की बनी डाई व अन्य सामान चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु०अ०सं० 315/24 धारा 305 बीएनएस 2023 पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 303/24 धारा 305 बीएनएस व मु०अ०सं०315/24 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 38 एल्युमीनियम की डाई, 16 बोल्ट व 430 रुपये नगद बरामद हुए हैं।

साक्ष्य संकलन व बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 303/24 धारा 305 बीएनएस में 331(4)/317(2)/317(5) बीएनएस व मु०अ०सं०315/24 धारा-305 बीएनएस में 331(4)/317(2)/317(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शाहिल पुत्र इन्तेजार निवासी मौहल्ला शेखपुरा क़स्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2- आमिर खान पुत्र हनीफ निवासी ग्राम सांकरौद थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3- सिराजु पुत्र मेहर इलाही निवासी दुर्गावली थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तार अभियुक्त शाहिल का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु०अ०सं० 278/24 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2- मु०अ०सं० 303/24 धारा 305/331(4)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3- मु०अ०सं० 315/24 धारा 305/331(4)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त आमिर खान का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं० 315/24 धारा 305/331(4)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त सिराजु का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं० 303/24 धारा 305/331(4)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये हुए 38 एल्युमीनियम की डाई व 16 बोल्ट एल्यूमीनियम (सम्बन्धित मु०अ०सं० 315/24 धारा 305/331(4)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना खेकडा)

- 430 रूपये नगद (सम्बन्धित मु0अ0सं0 303/24 धारा 305/331(4)/317(2)/317(5) बीएनएस थाना खेकडा)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना खेकडा ।
- 2.उ0नि0 श्रीदेवेन्द्र कुमार थाना खेकडा ।
- 3.है0का0 398 अनुज कुमार थाना खेकडा ।
- 4.है0का0 432 अनिल नागर थाना खेकडा ।
- 5.है0का0 634 योगेन्द्र कुमार थाना खेकडा ।





प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 03.10.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 184/24 धारा 306/331(3) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए सफेद व पीली धातु के आभुषण तथा मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.09.2024 को थाना चांदीनगर पर वादी ओमपाल ढाका पुत्र मंगत सिंह निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि वादी के नौकर अरविन्द द्वारा घर की अलमारी से एक मोबाइल फोन, नगद रुपये व आभुषण चोरी कर लिये है । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु.अ.सं. 184/2024 धारा 306/331(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 184/24 धारा 306/331(3) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 मोबाइल फोन तथा सफेद व पीली धातु के आभुषण बरामद हुए है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-सुरेन्द्र उर्फ वर्मा पुत्र रघुनाथ निवासी बिल्सरी थाना पचदेवरा जनपद हरदोई।

बरामदगी का विवरण-

- 03 जोडी पाजेब सफेद धातू ।
- 04 सिक्के सफेद धातू ।
- 08 जोडी बिछुआ नग ।
- एक डबल नगदार लॉकेट पीली धातु ।
- 01 जोडी कुंडल पीली धातू ।
- 02 नोज पिन नगदार पीली धातू ।
- एक मोबाइल फोन ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2- है0का0 208 सतेन्द्र कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

3- का0 1023 गणेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 03.10.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1-अरसद उर्फ अरसी पुत्र मंजूर निवासी मौ0 कच्ची सराय कस्बा व थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।
- 2-छोटू पुत्र जयपाल निवासी सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राजकुमार शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-उ0नि0 यूटी श्री आलोक कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

5-है0का0 339 राकेश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

6-का0 379 अखिलेश शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

7का0 60 संदीप थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 03-10-2024

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने गुमशुदा बच्चे को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने गुमशुदा बच्चे को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनो को सुपुर्द किया गया है ।



परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-का0 379 अखिलेश शर्मा ।
- 2-का0 885 हरिओम सिंह ।
- 3-म0का0 430 मीनाक्षी सिंह ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 03.10.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 824/2024 धारा 303(2) BNS, मु0अ0सं0 825/2024 धारा 303(2)/324(4) BNS व मु0अ0सं0 827/2024 धारा 303(2) BNS का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से ट्यूबवैलों से चोरी किया हुआ कॉपर केबिल वजन 04 किलोग्राम, 02 दरांती व 02 फावडे बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

1-दिनांक 01.10.24 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी नरेश पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा आवेदक व ग्राम बली के सत्यवीर पुत्र प्रहलाद सिंह व विक्रान्त पुत्र बलजोर की ट्यूबवैलों से केबल, तार व फावडे चोरी कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत



पर मु0अ0सं0 824/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

2-दिनांक 01.10.24 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी ललित पुत्र बिरमपाल सिंह निवासी ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा आवेदक व ग्रामीण 1- श्रीचन्द पुत्र रामफल, 2-पीतम पुत्र रामरिक निवासी ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत, 3- सुरेश पुत्र मंगत 4- बेदीराम पुत्र चरण सिंह निवासीगण ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत की ट्यूबवैलों से केबिल, फावडे चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 825/24 धारा 303(2)/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

3-दिनांक 02.10.24 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी लोकेन्द्र पुत्र सुखपाल सिंह निवासी ग्राम काठा थाना कोतवाली बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा सुखपाल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, कालूराम पुत्र हरख्याल सिंह, अवनीश चौधरी पुत्र तेजपाल सिंह, जोगिन्द्र सिंह पुत्र कालेराम, नितिन पुत्र सूभाष सिंह, धर्मपाल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, अमित पुत्र हरपाल सिंह, जगपाल शर्मा पुत्र हर नारायण शर्मा निवासीगण ग्राम काठा व तेजवीर सिंह पुत्र श्री ब्रह्म सिंह, सुनील कुमार पुत्र नवाब सिंह, विरेन्द्र सिंह पुत्र आशाराम, देशराज पुत्र हरीराम, मनोज कुमार पुत्र गंगा स्वरूप, हरवीर पुत्र श्री शिवराम निवासीगण ग्राम बन्दपुर के खेत में स्थित ट्यूबवैल से बिजली के केबिल व ट्यूबेल से अन्य सामान चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 0827/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त अभियोगों में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढौत्तरी की गयी है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 824/2024 धारा 303(2) BNS, मु0अ0सं0 825/2024 धारा 303(2)/324(4) BNS व मु0अ0सं0 827/2024 धारा 303(2) BNS का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किय गया है। जिसके कब्जे से ट्यूबवैलों से चोरी किया हुआ कॉपर केबिल वजन 04 किलोग्राम, 02 दरांती व 02 फावडे कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पारुल पुत्र पवन निवासी ग्राम धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- ट्यूबवौलों से चोरी किया हुआ कॉपर केबिल वजन 4 किलोग्राम ।
- 02 दरांती ।
- 02 फावडे ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री युवनीश कुमार थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री विरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 यूटी श्री उत्कर्ष गुप्ता थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 422 राजन सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-का0 333 नितेश कुमार थाना बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बिनौली दिनांक 03/10/2024

थाना बिनौली पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधो की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

हनीफ पुत्र रमजानी निवासी ग्राम बडावद थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री विजय सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत

2-का० 966 नरेश सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत

